न्यायालय, सब जज–तृतीय, डुमरॉव, बक्सर।
टी0 एस0–10/1997

11.08.2023

उभय पक्ष की पैरवी है। वादी की ओर से आवेदन दिनांक–22.11.2022 को दाखिल किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिववक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उक्त वाद में दिनांक–16.09.2022 को दस्तावेज जमा किया गया है जिसे प्रदर्श करना न्यायहित में जरूरी है वो सभी दस्तावेज बजाब्ता नकल वो 30 वर्ष पुराना दस्तावेज है।

प्रदर्श करने वाले दस्तावेज का विवरण–

1. दाखिल खारिज वाद सं0–227 सन् 86–86 में कर्मचारी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन वो अंचलाधिकारी डुमरॉव का आदेश की सच्ची प्रतिलिपि का मूल 4 फर्द
2. नंबरी मुकदमा 71 सन् 1997 में दाखिल शांति देवी का बयान तहरीरी की सच्ची प्रतिलिपि का मूल 4 फर्द
3. खानगी बंटवारा पत्र दिनांक–03.09.1996 का मूल प्रति 1 फर्द
4. वाजिदावा प्रमाण पत्र दिनांक–03.09.1996 का मूल प्रति 1 फर्द

अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त कागजातें को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उनका मौखिक कहना है कि प्रदर्श अंकित करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में जो दस्तावेज दिया गया है वह लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। कुछ दस्तावेज 30 वर्ष पुराना है। इसलिए उक्त दस्तावेज का प्रदर्श अंकित होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए दिनांक–22.11.2022 के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक–.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–तृतीय